न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 14/2008 (2008/00095)

वादीगण

1. भोपालसिंह पुत्र केशर सिंह कोम राजपूत निवासी ग्राम रसाल तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भागीरथ सिंह पुत्र केशर सिंह
2. रूप सिंह पुत्र केशर सिंह
   कोम राजपूत निवासी ग्राम रसाल तहसील कुचामनसिटी सिटी जिला नागौर।
3. श्रीमती तेजकंवर पुत्री केशर सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह कोम राजपूत निवासी सालेटा पोस्ट गढबसई वाया थानागाजी जिला अलवर राजस्थान
4. गोपाल सिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी पेवा तहसील सीकर के कायम मुकाम
   4/1 सुशीला कंवर बेवा गोपाल सिंह
   4/2 राजकरण सिंह पुत्र गोपाल सिंह नावालिग जरीये कुदरती वली माता सुशीला कंवर बेवा गोपाल सिंह
   4/3 रेणुकंवर पुत्री गोपाल सिंह नाबालिग जरिये कुदरत वली माता राज कंवर बेवा गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी पेवा तहसील सीकर जिला सीकर
5. रामचन्द्र पुत्र बलदेवाराम
6. गोविन्दराम पुत्र तिलोकाराम कोम कुमावत निवासीयान ग्राम रसाल तहसील कुचामनसिटी सिटी जिला नागौर।
7. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार जी (भूमिधारी), कुचामनसिटी

वाद वास्ते इस्तकरार हक व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 19/04/2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्यगगण है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी के सगे छोटे भाई है। एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 वादी व प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

संख्या 1 व 2 की सगी बहिन है। और प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी सं0 1 का सगा साला है। एवं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

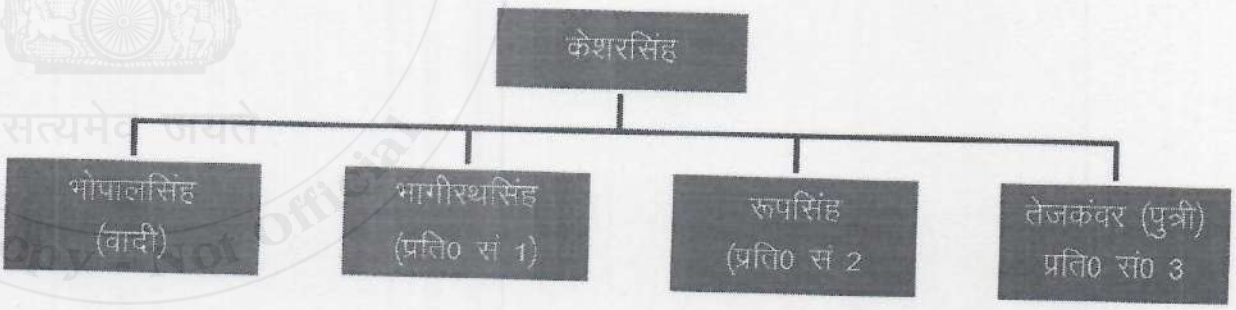

मौजा ग्राम रसाल पटवार क्षेत्र रसाल की सरहद में पुराने खसरा नम्बर 270 रकबा 3 बीघा 2 बीस्वा किस्म बारानी द्वितिय एवं गत खसरा नम्बर 269 रकबा 51 बीघा 16 बीस्वा कृषि भूमि किस्म बारानी द्वितिय कृषि भूमि आई हुई है। नकल जमाबंदी खेत खरान संवत 2010 से 2013 तक बतौर सबूत में प्रस्तुत है।

मौजा ग्राम रसाल पटवार क्षेत्र रसाल की सरहद में स्थित उपरोक्त गत खसरान नम्बर 153, 270, 269 के भुप्रबन्ध पैमाईस के बाद नये खसरा नम्बर 1013, 1014, 918, 919, 920 कायम किये गये है। नकल जमाबंदी खेत खसरा नम्बर 1013, 1014, 918, 919 व 920 संवत 2051 से 2054 तक एवं प्रमाण पत्र मिलान खसरा क्षेत्रफल बतौर सबूत में प्रस्तुत है।

मौजा ग्राम रसाल पटवार क्षेत्र रसाल की सरहद में स्थित उपरोक्त अराजीयान कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 153, 270, 269 की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की पैतृक सम्पति है जो वरवक्त जागीर के समय वादी के स्व0 दादा पाबूदानसिंह की जागीर की आई हुयी है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता केसरसिंह पुत्र पाबूदान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रसाल की मृत्यु दिनांक 08.08.1997 को हो चुकी है और स्व0 केसरसिंह के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उत्तराधिकारीगण वारिसान है। मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल बतौर सबूत में पेश है।

मौजा ग्राम रसाल की सरहद में स्थित अराजीयान खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.01 है0 गै0 मु0 कुआ, खसरा नम्बर 1014 रकबा 11.43 है0 कुल रकबा 11.44 है0, खसरा नम्बर 918, 919 च 920 कुल रकबा 8.88 है0 मिन जुमले 20.32 है0 कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 सभी का बहिस्सा बराबर–बराबर आया हुआ है अर्थात उपरोक्त खसरान की मिन जुमले 20.32 है0 भूमि में से वादी 1/4 हिस्से का प्रतिवादीगण सं0 1 भी 1/4 हिस्से का, प्रतिवादीगण सं0 2 भी 1/4

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हिस्से का एवं प्रतिवादीगण सं0 3 भी 1/4 हिस्से का काबिज काश्तकार है। उपरोक्त खसरान की भूमि में कभी भी किसी प्रकार का प्रतिवादीगण सं0 4 का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है।

परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने स्व0 केसरसिंह को बहला फुसलाकर चुपचाप उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि बाले आले अपने व प्रतिवादीगण संख्या 4 के नाम उपरोक्त खसरान के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाली है। कतई अवैध व शुन्य होने से वादी व जायज अधिकारों पर कतई प्रभावशीन नहीं होती है।

जब वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 4 की उपरोक्त फौरी व अवैध कार्यवाही की जानकारी हुयी तो वादी ने उपरोक्त खसरान के राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की और उसके बाद अभी दिनांक 20.09.1997 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी के 1/4 हिस्से की भूमि की खातेदारी उसके नाम करवाने को कहा तो वह आश्वासन देते रहे और कल प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने ऐसा करने के संबंध में साफ इंकार कर दिया। इसलिए वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ वर्तमान वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

इसके बाद वादी ने दिनांक 30.09.97 को पटवारी हल्का को भी मौके पर कब्जेकाश्त व हक व हिस्से अनुसार उपरोक्त खसरान की भूमि में से 1/4 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज कर दुरूस्ती करने को कहा तो उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसलिए वादी उपरोक्त खसरान के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने का कानूनन मुश्तकह है।

राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से उसके प्रतिनिधि तहसीलदार जी कुचामनसिटी को फार्मल पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है।

बिनाय दावा दिनांक 20.09.97 व 30.09.97 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एवं पटवारी हल्का को उपरोक्त अराजीयान के राजस्व रेकर्ड में कब्जाकाश्त व हक हिस्से अनुसार वादी के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर रेकर्ड में दुरूस्ती करने से मना करने पर बमुकाम ग्राम रसाल अन्दर हद हदुद व समायत अदालत वाला के उत्पन्न हुआ है।

वादीगण की इस्तदुआ निम्नवत है':–

मौजा ग्राम रसाल पटवार क्षेत्र रसाल तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित गत खसरा नम्बर 153 हाल नये खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1014 रकबा 11.43 है0 कुल रकबा 11.44 है0 भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि का वादी अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी प्रकार से वादी के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी में इन्द्राज कर रेकर्ड में दुरूस्ती करने के आदेश प्रतिवादीगण संख्या 7 व उसके ऐजेन्ट पटवारी हल्का को फरमाया जावें।

मौजा ग्राम रसाल की सरहद में स्थित गत खसरा नम्बर 269, 270 हाल नये खसरा नम्बर 918 रकबा 0.01 है0 व खसरा नम्बर 919 रकबा 0.09 है0 व खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 920 रकबा 8.78 है0 कुल रकबा 8.88 है0 भूमि में से 1/4 हिस्से की भूमि का वादी अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी प्रकार से वादी के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी में इन्द्राज कर रेकर्ड में दुरूस्ती करने के आदेश प्रतिवादीगण संख्या 7 व उसके ऐजेन्ट पटवारी हल्का को फरमाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.01.1998 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 30.03.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की तरफ से वकील श्री नाथूराम व महावीर प्रसाद ने वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल है। दिनांक 12.07.1998 को प्रतिवादी संख्या 7 उपस्थित, कोई जबाब पेश नहीं किया। दिनांक 23.07.1999 को प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की तरफ से जबाब पेश करने हेतु समय चाहा। दिनांक 22.09.1999 को प्रतिवादी सं0 5 व 6 मय वकील के अनुपस्थित होने से इकतरफा की गई। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से जबाब दावा पेश, शामिल मिसल है। दिनांक 27.11.2001 को वकील वादी एवं वादी गैरहाजीर होने पर वाद अदम हाजरी में खारीज किया गया। दिनांक 04.04.2002 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी की पेश करने पर प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 06.08.2002 को पुनः बरामद किया गया। दिनांक 23.04.2003 को तनकी कायम कर, शामिल मिसल की गई। दिनांक 25.08.2004 को गवाह मे फतहसिंह के बयान कराये गये। दिनांक 29.09.2005 को गवाह अर्जुन सिंह के बयान लिये जाकर, शामिल मिसल किये गयें। दिनांक 14.11.2007 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4(3) सीपीसी का पेश किया, नकल वकील वादी को दिलाई गई। दिनांक 18.08.2008 को सहायक कलेक्टर कुचामनसिटी का पद स्वीकृत होने से उपखण्ड कार्यालय नावां से वाद स्थानान्तरित होकर दिनांक 29.08.2008 को दर्ज किया गया, वादी व प्रतिवादी सं0 1 स्वयं उपस्थित। दिनांक 30.07.2009 को आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी की पेश की, नकल दिलाई गई। दिनांक 30.07.2009 की प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं0 4 को एलआर को पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी शुशीला कंवर की ओर से दिनांक 30.04.2010 को वकील श्री नाथूराम गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल है। दिनांक 07.06.2010 को प्रतिवादी रामकरण सिंह व रेणु कंवर गैर हाजीर होने पर इकतरफा की गई। दिनांक 26.06.2011 को प्रतिवादी सं0 4/1 की ओर से जबाब पेश हुआ, शामिल मिसल है। दिनांक 09.07.2012 को वादी ने गवाह हेतु शपथ पत्र पेश किया, नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई गई। दिनांक 20.05.2014 को गवाह जिरह की गई, गवाह वादी बंद की गई। दिनांक 25.11.2014 को प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 1 (3 क) सीपीसी की पेश की। दिनांक 03.12.2014 को उक्त प्रार्थना पत्र 200 रूपये मूल्य पर स्वीकार की गई। दिनांक 12.12.2014 ने प्रतिवादी भागीरथ सिंह ने गवाह हेतु शपथ पत्र पेश किया। दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

16.10.2015 को आदेश 7 नियम 14(1)(3) पेश की। दिनांक 23.10.2015 को बहस सुनाई, बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेज शामिल मिसल किये हुए है। दिनांक 12.02.2016 को गवाह शपथ पत्र पेश किये, शामिल मिसल है। दिनांक 30.03.2016 को आदेश 16 नियम 1(2) सपठित धारा 151 पेश करने पर दिनांक 13.04.2016 को स्वीकार की गई। दिनांक 05.08.2016 को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की पेश की जिसका निर्णय दिनांक 24.08.2016 को किया गया, शामिल मिसल है। दिनांक 07.09.2016 को प्रतिवादी गवाह में जगदीश सिंह भाटी का शपथ पत्र प्रस्तुत, शामिल मिसल है। दिनांक 16.09.2016 को आदेश 18 नियम 3 व 17 सीपीसी की बहस पेश की जो दिनांक 23.09.2016 को बहस होकर स्वीकार की, शामिल मिसल है। दिनांक 07.10.2016 को जिरह होकर पत्रावली बहस में रही। वाद पत्र में तनकी कायम की हुई है जो निम्न प्रकार से है।

1. आया वादी मौजा ग्राम रसाल में स्थित खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1014 रकबा 11.43 है0 भूमि में से अकेले $\frac{1}{4}$ हिस्से के लिये अपने आप को खातेदार घोषित करवाकर इसी माफिक रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है — वादी
2. आया वादी मौजा ग्राम रसाल में स्थित खसरा नम्बर 918 रकबा 0.01 है0 व खसरा नम्बर 919 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 920 रकबा 8.78 है0 भूमि में अकेले $\frac{1}{4}$ हिस्से के लिये अपने आप को खातेदार घोषित करवाकर इसी माफिक रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है — वादी
3. आया वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। — वादी
4. आया घोषणार्थ अंकित खसरा नम्बर स्व0 पाबूदान जी की मल्कीयत की भूमि है — वादी
5. आया वादी अन्यन्त्र गोद चले जाने से अपने नैसर्गिक पिता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक नहीं मांग सकता। — प्रतिवादी
6. आया वादी का उपरोक्त हित खसरान नम्बर पर कभी कोई कब्जाकास्त नहीं रहने से व घोषणा का व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश नहीं कर सकता है — प्रतिवादी
7. आया धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में राज्य सरकार के विरूद्व वाद चलाया जा सकता है। वाद खारिज योग्य है। — प्रतिवादी
8. आया वादी को कोई बिनाय दावा ही उत्पन्न ही नहीं होता है अतः वाद पोषणीय ही नहीं है। — प्रतिवादी
9. आाय वाद मयाद बार होने से काबिल खारिज है। — प्रतिवादी
10. एसडीएम कोर्ट नावां के राजस्व वाद 45/85 निर्णय दिनांक 12.08.1985 के तहत खातेदारी के विरूद्व वाद लाना कानून के विरूद्व है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वकील वादी ने वादी की ओर से लिखित बहस पेश कर कथन किया की वादी का वाद रेकर्ड दुरूस्ती का पेश किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 सगे भाई है तथा प्रतिवादी सं0 3 वादी व प्रतिवादीगण की सगी बहन है। प्रतिवादी सं0 4 प्रतिवादी सं0 1 का सगा साला है तथा प्रतिवादीगण सं0 5, 6 भूमि को क्रय कर खातेदार है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 स्वर्गीय केसर सिंह जी के वारिसान है। ग्राम रसाल के पुराने खेत खसरा नम्बर 270, 269, 153 आये हुए है। पुराने खसरा नम्बर 153 रकबा 70 बीघा 14 बीस्वा के नये खसरा नम्बर 1013, 1014 कुल रकबा 11.44 है0 कायम हुये तथा खसरा नम्बर 269, 270 रकबा 51 बीघा 16 बीस्वा व 3 बीघा 2 बीस्वा के नये खसरा नम्बर 918 रकबा 0.01 है0, 919 रकबा 0.09 है0, 920 रकबा 8.78 है0 कुल रकबा 8.88 है0 कायम हुये जिसमें वादी 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार कास्तकार है इसलिये वादी अपनी घोषणा के लिए वाद पेश किया है। प्रतिवादी सं0 3 द्वारा वादी के पक्ष में इकबाली जबाब दावा दिया हुआ है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा जबाब दावा दिया हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 सगे भाई बहन है परन्तु एक ही परिवार के सदस्य नहीं है। वादी न तो ग्राम रसाल का निवासी है व न ही ग्राम रसाल में उसकी चल अचल सम्पति, मकान आदि स्थित है। ठाकुर स्वर्गीय केसर सिंह जी के जीवित रहते हुए ही पांचवा ठाकुर जसवंत सिंह जी व उनकी धर्मपत्नी शोभाकंवर ने गोद ले लिया था जिसका खुलासा स्वर्गीय केसर सिंह जी ने हमारे (प्रतिवादी सं0 1 व 2) के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 06.01.1997 में किया जा चुका है इसलिए हमारे परिवार का सदस्य नहीं होने से हमारे परिवार व जमीन जायदाद में वादी का कोई हक हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त सम्पति स्वर्गीय केसर सिंह जी की पैतृक सम्पति नहीं है बल्कि स्वअर्जीत सम्पति है। ग्राम रसाल में स्थित उपरोक्त वादग्रस्त अराजियात पुराने खसरा नम्बर 153, 269, 270 की पैतृक भूमि व जागीर के वक्त वादी के स्व0 दादा पाबुदान सिंह जी की जागीर की भूमि होने सम्बन्धि कथन वादी का सरासर गलत व मनगढ़न्त कथन है। उपरोक्त भूमि हमारे पिता स्व0 केशरसिंह जी के खुदकाश्त खातेदारी की थी जो उन्होने कृषकों से मुकदमें लड़कर अर्जित की है। विवादित भूमि खसरा सं0 1013, 1014, 918, 919 व 920 की भूमि पर वादी का कभी कोई कब्जाकास्त नहीं रहा है। खसरा संख्या पुराना 153 नयास 1013, 1014 प्रतिवादी रूपसिंह के नाम एसीएम कोर्ट नावां के राजस्व वाद संख्या 45/85 निर्णय दिनांक 12.08.2015 के तहत नामान्तकरण हुआ है इन खसरों की भूमि पर मैं प्रतिवादी सं0 2 रूपसिंह रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हूं। आज से 25 वर्ष पूर्व मैने कुआं व मकानात बनवाये है। खसरा सं0 270, 269 वर्तमान 918, 919, 920 में पौना सत्ताईस बीघा भूमि नामान्तकरण मुझ प्रतिवादी सं0 1 भागीरथसिंह के नाम एसीएम कोर्ट नावां के राजस्व वाद सं0 45/85 निर्णय दिनांक 12.08.1985 के तहत स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हुआ है इन्ही खसरा में से $12\frac{1}{2}$ बीघा भूमि मुझ प्रतिवादी सं0 1 व $12\frac{1}{2}$ बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जरीये रजिस्ट्री दिनांक 12.10.1984 को खरीद कर काबिज खातेदार कृषक चले आ रहे है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने शेष भूमि 0.50 है0 भूमि वसीयत दिनांक 06.01.1997 के जरीये प्राप्त की है तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा $1\frac{1}{2}$ बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 5, 6 को जरीये रजिस्ट्री बैचान की है। ठा0 स्व0 केशरसिंह जी को किसी भी प्रकार से अपनी सम्पति को हस्तान्तरण करने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त था एवं वादी को उसमें हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

वाद पत्र, जबाब दावा, इकबाली जबाब के द्वारा निम्न विवाधको की विविचना की गई।

1. आया वादी मौजा ग्राम रसाल में स्थित खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1014 रकबा 11.43 है0 भूमि में से अकेले $\frac{1}{4}$ हिस्से के लिये अपने आप को खातेदार घोषित करवाकर इसी माफिक रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है — वादी
2. आया वादी मौजा ग्राम रसाल में स्थित खसरा नम्बर 918 रकबा 0.01 है0 व खसरा नम्बर 919 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 920 रकबा 8.78 है0 भूमि में अकेले $\frac{1}{4}$ हिस्से के लिये अपने आप को खातेदार घोषित करवाकर इसी माफिक रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है — वादी
3. आया वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। — वादी
4. आया घोषणार्थ अंकित खसरा नम्बर स्व0 पाबूदान जी की मल्कीयत की भूमि है — वादी
5. आया वादी अन्यन्त्र गोद चले जाने से अपने नैसर्गिक पिता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक नहीं मांग सकता। — प्रतिवादी
6. आया वादी का उपरोक्त हित खसरान नम्बर पर कभी कोई कब्जाकास्त नहीं रहने से व घोषणा का व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश नहीं कर सकता है — प्रतिवादी
7. आया धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में राज्य सरकार के विरूद्व वाद चलाया जा सकता है। वाद खारिज योग्य है। — प्रतिवादी
8. आया वादी को कोई बिनाय दावा ही उत्पन्न ही नहीं होता है अतः वाद पोषणीय ही नहीं है। — प्रतिवादी
9. आाय वाद मयाद बार होने से काबिल खारिज है। — प्रतिवादी
10. ऐसीएम कोर्ट नावां के राजस्व वाद 45/85 निर्णय दिनांक 12.08.1985 के तहत खातेदारी के विरूद्व वाद लाना कानून के विरूद्व है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तनकी नं0 1 ता 4 वादी को साबित करनी है तथा तनकी नं0 5 ता 10 प्रतिवादीगण के जिम्मे तय की गई है।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश की गई जिसमें वादी द्वारा स्वयं की साक्ष्य तथा गवाह अर्जुनसिंह व फतेहसिंह की व रिब्युटल में वादी द्वारा साक्ष्य पेश की गई वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 39 प्रदर्श कराये गये। प्रतिवादी सं0 1 ने साक्ष्य पेश की तथा गवाह नारायणराम, पुरणमल, जगदीशसिंह, हीराराम को बतौर गवाह परिक्षित करवाया गया तथा प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज 1 लगायत 26 प्रदर्श करवाये गये।

वादी व उसके गवाहान द्वारा तनकी सं0 1 लगायत 4 के संबंध में साक्ष्य पेश की तथा साक्ष्य में कहा गया कि उपरोक्त वादग्रस्त खसरान पुराने संख्या 153, 269, 270 की भूमि स्व0 पाबुदानसिंह जी की जागीर की भूमि रही है तथा यह भूमि पैतृक है इस भूमि पर पहले कब्जा काश्त स्व0 केशरसिहं जी का रहा है। यह भूमि स्व0 पाबुदानसिंह जी की छुट भाई जागीर की रही है उनकी मृत्यु के बाद दिनांक 31.05.1948 को स्व0 पाबुदानसिंह जी के चारो पुत्रों केशरसिंह, भैरूसिंह, मूनसिंह, जमनसिंह ने स्व0 पाबुदानसिंह जी की जागीर की भूमियों का बंटवारा लिखित रूप से कर लिया था तथा बंटवारे अनुसार छुटभाई जागीरदार काबिज हो गये थे। इस बंटवारे का हवाला वादी के पिता स्व0 केशरसिंह जी द्वारा किये गये वाद सं0 55/91 केशरसिंह बनाम नंदसिंह में पेरा सं0 2 में किया गया है। स्व0 केशरसिंह जी द्वारा किये गये इस वाद जो प्रदर्श 25 है कि पैरा सं0 2 में उक्त भूमियों को वरवक्त जागीर के समय से ही दिनांक 31.05.1948 को वादी व उसके भाईयों भैरूसिंह, जमनसिंह, मूनसिंह ने बंटवारा कर लिया था यह सम्पति पैतृक सम्पति है। वाद में केशरसिंह जी के कायम मुकाम वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 रेकर्ड पर लाये गये। वाद सं0 55/99 अनुवान भागीरथसिंह बनाम भोपालसिंह वगैरह में पैरा सं0 1 में वादी व प्रतिवादीगण को स्व0 पाबुदानसिंह जी का वंशज व वारिसान बताया गया है जिसमें केशरसिंह जी का पुत्र सजरा खानदान में भोपालसिंह को बताया गया है इस पैरा व सजरा में वादी को गोद जाना नहीं बताया है तथा पैरा 3 में उक्त सम्पति को पैतृक सम्पति बताया गया है जो प्रदर्श 26 है। प्रतिवादी रूपसिंह व भागीरथसिंह द्वारा एक वाद प्रतिवादी सं0 4 गोपालसिंह व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता स्व0 केशरसिंह जी पर वाद सं0 45/85 रूपसिंह बनाम केशरसिंह वगैरह पेश किया गया था जो प्रदर्श 39 है जिसके पैरा सं0 1 में पुराने खसरा सं0 153, 269, 270 की भूमि को स्वयं के तथा प्रतिवादी सं0 1 अपने स्व0 केशरसिंह जी के पूर्वजों की खातेदारी की होना स्वीकार किया है तथा पैरा सं0 2 में बताया है कि उक्त खसरान की भूमि वादी के पूर्वजों की खातेदारी की कृषि भूमि थी और वादी के पूर्वजों ने अपनी मौजुदगी में ही बंटवारा कर वादीगण को दे दी थी इस प्रकार इस वाद से भी साबित है कि उपरोक्त भूमि स्व0 पाबूदान सिंह जी की जागीर की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

थी जिसका बंटवारा पाबुदान सिह जी की मृत्यु के बाद जागीर के समय से ही उनके पुत्रों केशरसिंह, भैरूसिंह, जमनसिंह व मूनसिंह के मध्य हो गया था। उक्त भूमि पैतृक सम्पति रही है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा चला आ रहा है।

प्रतिवादी सं0 1 भागीरथसिंह द्वारा दी गई साक्ष्य में शपथ पत्र के पैरा सं0 1 में उल्लेख किया गया है कि खसरा सं0 269, 270, 153 की भूमि स्व0 केशरसिंह के छुट भाई जागीर की भूमि थी वे इन खसरों के खुदकाश्त होल्डर हो गये। मारवाड लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार जागीर जोधपुर महाराजा की इच्छा पर होती थी जो व्यक्तिगत होती थी पैतृक नहीं होती थी। जागीर पैतृक होती थी, महाराजा की इच्छा पर निर्भर नहीं होती थी।

मारवाड़ लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट 1949 की धारा 182, 185 (1), 172 एवं लिखित बहस में न्यायिक निर्णय व माननीय हाईकोर्ट के Direction को दोहराते हुए कथन किया की प्रस्तुत साक्ष्य वादी के गवाह मौखिक साक्ष्य एवं प्रतिवादी व प्रतिवादी के गवाहन से जिरह में ये साबित होता है कि पुराने खसरा सं0 153, 269, 270 ग्राम रसाल ठाकुर केशरसिंह जी के छुटभाई जागीर की खुदकास्त भूमि थी जो वादी व प्रवितादीगण सं0 1 ता 3 के वादी के पिता के हाथों में पैतृक सम्पति थी जिसमें वादी का हिस्सा था तथा वादी के पिता की मृत्यु के बाद उसका 1/4 हिस्सा इस प्रकार तनकियात सं0 1 ता 4 को वादी द्वारा पूर्ण साबित किया है। तनकी सं0 5 प्रतिवादीगण को साबित करने के जिम्मे रखी गई जिसमें प्रतिवादीगण साबित करने में असफल रहे है। वादी के ठाकुर जसवंत सिंह जी के गोद चले जाने के तथ्य को प्रतिवादीगण साबित नहीं कर पाये की वादी ठाकुर जसवंत सिंह जी के कब, किस तारीख, किस माह व किस वर्ष व किस तिथी मिति को गोद गया। वादी ठाकुर जसवंत सिंह जी का छोटा साढु है, तथा जसवंत सिंह जी की पत्नी शोभागकंवर की छोटी बहन वादी की पत्नी थी। वादी ने ग्राम रसाल के वोटर लिस्ट प्रदर्श 9 लगायत 12 व प्रदर्श 22 लगायत 24 पेश की है जिसमे पिता का नाम केशरसिंह है। वादी ने अपने पिता केशर सिंह द्वारा पांचवा ठाकुर जसवंत सिंह जी को लिखा पत्र प्रदर्श 19, हरनाथसिंह जी को लिखा पत्र प्रदर्श 20, वादी को लिखा पत्र प्रदर्श 21 पेश किये है। जिनको प्रतिवादी भागीरथसिंह जी जिरह में उनके हस्ताक्षर एडमिट किये है। सेवा पुस्तिका प्रदर्श 30, सर्विस रोल प्रदर्श 31, ड्राईविंग लाईसेन्स प्रदर्श 32, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र प्रदर्श 35 पेश किया जिसमें वादी के पिता का नाम केशर सिंह लिखा है। जमाबंदी ग्राम पांचवा प्रदर्श 13 जिसमें जसवंतसिंह के वारिस के रूप में नाम दर्ज नहीं है। शोभागकंवर द्वारा दिया गया मुख्त्यारनामा प्रदर्श 14 पेश है जिसमें वादी को अपना पुत्र नहीं बताया है, बल्कि बहनोई बताया है। स्व0 केशरसिंह द्वारा वादी भोपालसिंह को अपने आर्मी केन्टीन के कार्ड के अनुसार वादी भोपालसिंह को मदिरा (लिक्वीर कार्ड) उठाने के लिये ओथराईज किया जिसमें भी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उन्होने भोपालसिंह के पिता का नाम केशरसिंह लिखा है जो प्रदर्श 34 है तथा केन्टीन कार्ड प्रदर्श 33 है।

माननीय राजस्व न्यायालय के न्याय निर्णय प्रभुलाल बनाम कालूलाल में आरआरटी 216 (i) पेज 377 में ये सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है इस प्रकार तनकी नं0 5 प्रतिवादीगण साबित करने में असफल रहे है।

तनकी नं0 6 पैतृक सम्पति में प्रत्येक हिस्सेदार को कब्जा स्वतः ही माना जाता है।

तनकी नं0 7 80 सीपीसी का सरकार को नोटिस दिया जाना धारा 88, 188 आरटी एक्ट में पेश किये वाद में आवश्यक नहीं है।

तनकी नं0 8 प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य साबित नहीं किया गया है।

तनकी नं0 9 वाद घोषणा के लिये राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत सीमा लागू नहीं होती है। घोषणा का वाद कभी भी लाया जा सकता है। यह विधि का सिद्वान्त है।

तनकी नं0 10 एसीएम कोर्ट नावां में वाद सं0 45/85 में वादी पक्षकार नहीं है। यह निर्णय व्यक्ति लक्षी निर्णय है इसलिये वादी इस निर्णय से पाबन्द नहीं है।

तनकी नं0 6 ता 10 प्रतिवादीगण साबित करने के असफल रहे है।

वसीयत ठाकुर केशरसिंह जी के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 06.01.1997 को पैतृक सम्पति की वसीयत करने का अधिकार नहीं होने से शुन्य है। तार ई.एक्स 28 है जो प्रतिवादी सं0 2 रूपसिंह द्वारा दिनांक 05.01.1997 को वादी को दिया गया है। जिसमें लिखा है पिताजी बिमार है तुरन्त चले आओ। अगले ही दिनांक 06.01.1997 को वसीयत लिखी गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं0 1, 2 ने षडयन्त्र पूर्वक केशरसिंह जी शक्त बिमार होने व मृत्यु शैया पर होते वक्त उक्त वसीयत प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा कराई गई है। उक्त वसीयत स्वच्छचित अवस्था में नहीं की है इसलिए शुन्य है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्यान्ट उक्त प्रकरण पर लागु नहीं होते है क्योकि मारवाड़ लैण्ड़ रेवन्यु एक्ट 1949 की धारा 182 के अनुसार जागीर में जागीरदार की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकार **बाई रूल ऑफ प्राईमोजिनेचर** द्वारा होता था।

वादी द्वारा अपने वाद को मौखिक व दस्तावेज साक्ष्यों से पूर्णतया साबित किया है एवं साईटिका की फोटो प्रतियां पेश है। इसलिए वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त अराजीयात का 1/4 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें इस आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस सुनाते हुये लिखित बहस पेश कर कथन किया कि दावा आपके न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके विवादित भूमि रसाल पटवार हल्का में खसरा नं0 1013 व 1014 है जिसके पुराने खसरा नम्बर 153 है।

यह भूमि वादी व प्रतिवादीगण के स्व0 पिता केसर सिंह जी की शुरू से ही पैत्रिक व पुश्तैनी कृषि भूमि नहीं है। इसकी खातेदारी केसरसिंह को श्रीमान एसडीएम साहब परबतसर के राजस्व वाद सं0 76/1975 के निर्णय दिनांक 02.06.1976 द्वारा प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात 1985 में उक्त खसरान की सम्पूर्ण कृषि भूमि की खातेदारी एसडीएम साहब नावां के राजस्व वाद के निर्णय द्वारा प्रतिवादी सं0 2 रूपसिंह के नाम दर्ज हो गई, तब से लेकर आज दिन तक इस भूमि पर उक्त रूपसिंह की एकेला काबिज काश्तकार चल आ रहा है जबकि उक्त दोनों दावों की जानकारी वादी को होने के बाद भी कहीं कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं वर्ष 1997 में केसर सिंह जी की मृत्यू के बाद वादी ने यह वाद उक्त सम्पति केशरसिंह जी की मानते हुए पुत्र की हैसियत से न्यायाल में पेश किया है। जबकि दावा प्रस्तुती के समय मृतक पिता के नाम से कोई खातेदारी इस सम्पति में नहीं थी एवं न ही उक्त सम्पति केसर सिंह जी की मृत्यू पश्चात प्रतिवादी रूपसिंह को मिली है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उक्त भूमि का नामान्तरण वादी के पिता के जीवनकाल में यानी 1985 में ही श्रीमान के ही न्यायालय आदेश से प्रतिवादी रूपसिंह के नाम स्वीकृत होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है।

इसी प्रकार इस मुकदमें में ही विवादित खसरा नम्बर 918, 919 व 920 जिसके पुराने खसरा नम्बर 269 व 270 है, इन खसरों की कुल कृषि भूमि 54 बीघा 18 बीस्वा है, जिसमें से वादी के पिता श्री केसरसिंह ने (वर्ष 1976 में एसडीएम परबतसर के राजस्व वाद सं0 76/1975 निर्णय दिनांक 02.06.1976 द्वारा प्राप्त खातेदारी सुदा कृषि भूमि में से) साडे बारह बीघा भूमि उक्त वर्तमान वाद के प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ सिंह को एवं साडे बारह बीघा भूमि श्री गोपालसिंह को जरीये रजिस्टर्ड बेचान के हस्तान्तरण वर्ष 1984 में कर दी थी, तथा शेष 26 बीघा 16 बीस्वा भूमि की खातेदारी 1985 में एसडीएम कोर्ट नावां के राजस्व वाद निर्णय के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 भागीरथ सिंह के नाम दर्ज हो गई थी। शेष भूमि उक्त खसरो की तीन बीघा दो बीस्वा थी जो वादी प्रतिवादी के पिता केसर सिंह जी ने अपने जीवन काल में भागीरथसिंह व रूपसिंह के पक्ष में अपनी मृत्यू के आठ माह पहले की गई रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज होकर खातेदारी प्राप्त हुई थी।

वादी भोपालसिंह को जानकारी के पश्चात भी न तो उक्त राजस्व दावो की कहीं कोई अपील की गई व न ही बेचान निरस्त व वसियत निरस्त की कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

इसी क्रम में उक्त खसरों की जो $12\frac{1}{2}$ बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान भागीरथ सिंह के केसर सिह से खरीदी थी। इसकी खोदारी भूल से सेटलमेंट विभाग द्वारा 1985–86 में सहखातेदार श्री गोपाल सिंह के नाम दर्ज हो गई थी जिसे एसडीएम कोर्ट कुचामन से ही वर्ष 2009 मे राजस्व वाद के निर्णय द्वारा अपने नाम करवाई है एवं गोपालसिंह की खातेदारी की भूमि गोपालसिंह की मृत्यू पश्चात उसकी पत्नी शुशीला कंवर के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि भागीरथ सिंह ने क्रय कर अपनी पत्नी मेन कंवर के नाम जरिये रजिस्टर्ड बेचान खातेदारी दर्ज करवाई है।

शेष तीन बीघा दो बीस्वा भूमि को खातेदारी बराबर बराबर हिस्से में भागीरथ सिह व रूप सिंह के नाम जरिये रजिस्टर्ड वसीयत के प्राप्त हुई थी जिसमें से रूपसिंह ने अपना $\frac{1}{2}$ हिस्सा श्री भागीरथ सिंह को जरीये पंजीकृत हक त्याग के हस्तान्तरित की है।

इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि 54 बीघा 18 बीस्वा में से 42 बीघा 8 बीस्वा की खातेदारी भागीरथ सिंह व 12 बीघा 10 बीस्वा भूमि की खातेदारी मैनकंवर पत्नी भागीरथसिंह ने न्यायालयों के राजस्व दावों, रजिस्टर्ड बेचानों, वसियत एवं हक त्याग के आधार पर प्राप्त की है जिन्हे आज दिन तक वादी भोपालसिंह ने कहीं भी चेलेंज नहीं किया है जो आज दिन तक पूर्ण रूप से प्रभावी है तथा निर्बाध रूप से भागीरथ सिंह व मैन कंवर काबिज चले आ रहे है।

इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी के पिता केसरसिंह की मृत्यू के आधार पर कोई नामान्तरण ही प्रतिवादी के नाम नहीं हुआ है जबकि वादी ने अपने पिता की सम्पति में अपना हक मानते हुए दावा किया है जबकि पिता की मृत्यू के समय पिता के नाम उक्त सम्पति थी ही नहीं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद, वाद के संलग्न दस्तावेजात, खतौनी, वसीयत, शपथ पत्र, वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 ता 39 दस्तावेजात, लिखित व मौखिक बहस मय रूलिंगस, वकील प्रतिवादी द्वारा जबाब दावा, प्रस्तुत प्रदर्श 1 ता 26 दस्तावेजात, शपथ पत्र, शपथ पत्रों में की गई जिरह आदि के विवेचन से वादी के वाद में कायमी तनकी 1 लगायत 10 पर ध्यान देने से तनकी नम्बर 1 ता 4 वादी को साबित करनी है। तथा तनकी नं0 5 ता 10 प्रतिवादी को साबित करनी है। तनकी नं0 1 ता 4 के संबंधि में वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुऐं वाद में प्रस्तुत दस्तावेजात सं0 1 ता 39 पर कथन करते हुये मय रूलिंगस के लिखित बहस पेश कर मौखिक बहस सुनाई। वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को न कारते हुए वाद पत्र में पेश जबाब के अंकित तथ्यों दौहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श सं0 1 ता 26 एवं संलग्न गवाह पर कथन करते हुए लिखित बहस मय रूलिग्स के पेश कर मौखिक बहस सुनाई। वकील वादी की बहस से वादी के वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श 1 ता 39, गवाहों की

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जिरह आदि पर बहस सुनाते हुये तनकी सं0 1 ता 4 के संबंध में कथन किया की ग्राम रसाल के खसरा नं0 1013 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 1014 रकबा 11.43 है0, कुल खसरा 2 कुल रकबा 11.44 है0 भूमि स्व0 पदमसिंह जी की मल्कियत होने से पदम सिंह के पुत्र केशर सिंह जी एवं केशरसिंह जी के पुत्र/पुत्रर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 होने से वादी 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाकर रेकर्ड में अमल दरामद कराने के अधिकारी है। उक्त वाद में अंकित सम्पति पैतृक होने के संबंध में वाद में प्रदर्श दस्तावेजात 1 ता 39 एवं गवाहों के शपथ पत्र संलग्न है। इसलिए तनकी 1 ता 4 वादी के पक्ष में होने से वादी का वाद स्वीकार कर वादी को खातेदार घोषित करने के आदेश फरमावें। वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुए वाद में प्रस्तुत जबाब को दौहराते हुए दस्तावेजात प्रदर्श सं0 1 ता 26 एवं गवाहों व लिखित बहस मय रूलिग्स को दौहराते हुए मौखिक बहस में कथन किया कि उक्त आराजी कभी भी स्व0 पदमसिंह जी की नहीं रही है। वक्त जागीर दिनांक 01.07.1958 को रिज्यूम कर ली गई थी तथा केशर सिंह जी ने राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 13 के अनुसार खातेदार काश्तकार होने से केशर सिंह जी ने अपने हिस्से की जमीन वाद सं0 76, 75 उपखण्ड अधिकारी परबतसर के न्यायालय में पेश किया। जिसमें उन्होने गत खसरा नं0 32, 153, 270, 269 के संबंध में डिक्री प्राप्त कर खातेदार काश्तकार हो गये थें जो वाद में दस्तावेजात प्रदर्श 1 व 2 शाबित है। वादी ने बताया की वक्त जागीर के समय 1948 को मौके पर बंटवारा कर दिया गया था। वादी का ये कथन उसके बयानों से भी गलत साबित होता है। वादी ने अपने कथनों में अपने दादा पाबुदान सिंह जी की मृत्यु वर्ष 1924–25 में होना बताई। स्वर्गवास 1948 में यानी 1924–25 में हो चुका था तो दिनांक 31.05.1948 को बंटवारा होने की बात कतई स्वीकार योग्य नहीं है। वादी के बयानों से साफ साफ जाहिर होता है कि वादी पिछले 40–50 वर्षो से ग्राम रसाल में नही रहंकर जयपुर ही रहते है। वादी पांचवा ठाकुर साहब जयवंत सिंह जी के गोद चले गये थे उसकी ताहिद वाद के संलग्न वसीयत जो वादी के पिता ने लिखी है से एवं वादी के पुत्र दिलिप सिंह (पूर्व संरपंच पांचवा) द्वारा राजपूत गौरव के पृष्ठ संख्या 114 में अपने जीवन परिचय में पिता का नाम भोपाल सिंह व दादा का नाम जसवंत सिंह लिखाया है। वादी जब पिछले 40–50 वर्षो से ग्राम रसाल में नहीं रह रहे है एवं न ही उनके नाम कोई जमीन कब्जाकाश्त में है। उक्त आराजी जरीये मुकदमों से केशर सिह जी ने प्राप्त की है तथा केसर सिंह जी से जरीये बेचान व वसीयत से प्राप्त की है। उक्त मुकदमों की एवं वसीयत को संबंधित न्यायालय में आज दिनांक तक कोई चुनौती नहीं दी है इससे यह साबित है कि वादी छोटी उम्र बचपन में ही ठाकुर जसवंत सिंह जी के गोद चले गये थे तथा उनकी सम्पति वादी व उनके परिवार के कब्जे में ही है इसलिए वादी न तो ग्राम रसाल की जमीन पर कभी कब्जाकाश्त की है न ही वादी के नाम कोई जमीन है। तनकी संख्या 1 ता 4 वादी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

साबित नहीं कर सके। तनकी संख्या 5 ता 10 प्रतिवादी के पक्ष में उक्त विवेचन से बखुबी साबित है। इसलिए वादी का वाद मय हर्ज खर्च के खारिज फरमावें।

प्रस्तुत वादी का वाद पत्र संलग्न प्रतिवादी का जबाब, गवाह वादी एवं प्रतिवादी व शपथ पत्र वसियत, प्रदर्शित दस्तावेजात वादी एवं प्रतिवादी, वकुलाय की लिखित एवं मौखिक बहस मय रूलिंग्स के पेश व वाद पत्र में की गई तनकी कायमी का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 केशर सिंह जी के पुत्र है तथा प्रतिवादी सं0 3 केशरसिह जी की पुत्री है। वादी बचपन से ही ठाकुर जसवंत सिंह जी के पास पांचवा में चले जाना वाद पत्र के संलग्न सबुतों से बखुबी साबित है। वाद पत्र में संलग्न वसियत का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से वादी के पिता केशर सिंह जी की वसियत की हुई है। उसपर केशरसिंह जी के हस्ताक्षर है। उक्त वसियत पंजीयन है एवं वादी ने केशरसिंह के हस्ताक्षर वसियत पर होना स्वीकार किया है एवं वसियत दिनांक 06.11.1997 को पंजीयन की हुई है। वसियत में वादी के पिता ने ठाकुर जसवंत सिंह जी के गोद जाना वादी को बताया है। जिसकी आज दिनांक तक कोई सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी है वसियत आज भी मौजुद है व वादी के पुत्र ने राजपूत गौरव पुस्तक छपायी है उसमें पृष्ठ स0 114 से भी वादी के पिता ठाकुर जसवंत सिंह जी को बताया। केशर सिंह जी ने उक्त आराजी जरीये मुकदमों से प्राप्त की है एवं उसका बेचान भी किया है, उनकी भी किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं की गई है वादी ठाकुर जसवंत सिंह जी के गोद जाने का कोई गोद नामा पंजीयन दस्तावेजात नहीं है लेकिन संलग्न दस्तावेजात राजपूत गौरव पुस्तक पेज सं0 114 व वसियत जो वादी के पिता ने लिखी है जिसको गोद देने की अनुमति है ने स्वयं ने लिखा है कि वादी भोपालसिंह ठाकुर जसवंत सिंह जी के गोद चले गये है। उक्त विवेचन से वादी को गोद जाने की प्रक्रिया न्याय संगत उचित होने से वादी द्वारा वाद पत्र को साबित नहीं करने पर पूर्णतया असफल रहने से वादी का वाद पत्र काबिल खारीज योग्य होने से निम्न प्रकार निर्णय पारित किया जाता है।

निर्णय

ग्राम रसाल के खसरा नं0 1013 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 1014 रकबा 11.43 है0 कुल रकबा 11.44 है0 में वादी द्वारा 1/4 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करना साबित नहीं कर असफल रहने से वादी का वाद मुकदमा नम्बर 14/08 खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो।

निर्णय आज दिनॉक 19/04/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)